सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : चाँदमल वर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण स : 10/2014 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO: 2014/00046

अनवान

1. श्री जयनारायण पिता कडुवा जी मीणा, निवासी बड़ला, तहसील खेरवाड़ा।
2. श्री हांजाराम पिता कडुवा मीणा, निवासी बड़ला, तहसील खेरवाड़ा।
3. श्री शंकरलाल पिता कडुवा मीणा, निवासी बड़ला, तहसील खेरवाड़ा।
4. श्री दुर्जन उर्फ दौलतराम पिता कडुवा मीणा, निवासी बड़ला, तहसील खेरवाड़ा।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री जयकृष्ण परमार पिता दयाराम परमार, निवासी सरेरा, हाल पुराना बस स्टेण्ड़ रोड़, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

– विपक्षी

उपस्थित

1. श्री अरूण व्यास, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता विपक्षी।

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 31-08-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण बड़ला के निवासी होकर सगे भाई है, उनके खाते एवं कब्जे की मोजा खेरवाड़ा मे आराजी संख्या 459 रकबा 1.21हे, 453 रकबा 0.08हे. भूमि स्थित हैं। इसके अतिरिक्त मौजा बड़ला मे प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी संख्या 35 रकबा 0.03हे., 28 रकबा 0.03हे., 29 रकबा 0.11हे., 30 रकबा 0.08हे., 55 रकबा 0.02हे., 32 रकबा 0.10हे., 34 रकबा 0.07हे., 43 रकबा 0.03हे., 44 रकबा 0.11हे., 110 रकबा 0.07हे., 33 रकबा 0.36हे., 99 रकबा 0.05हे. भूमि स्थित हैं। प्रार्थीगण की उक्त दोनो गांवो की भूमियां दोनो गांवों की सीमा पर पास पास हैं तथा उनके बीच लगी हुई एक तिकोने आकार की कृषि भूमि मौजा पलसिया, जिसके साबिक आराजी संख्या 847 एवं 844 तथा हाल आराजी संख्या 1306 व 1396/1306 स्थित हैं। उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण ने अपने मकानात पिता के जमाने से लगभग 40 वर्ष पूर्व बना रखे थे एवं कालान्तर मे आवश्यकतानुसार निर्माण किये गये, जो पक्के निर्माण मय वाउण्ड्री के स्थित हैं। शेष भूमि पर उनकी बाड़ स्थित हो काश्त करते आ रहे हैं। इस भूमि पर बने मकानात मे वर्षो से वादीगण के बिजली के कनेक्शन हैं। विपक्षी श्री जयकृष्ण के पिता श्री दयाराम पूर्व मे पंचायत समिति के प्रधान, विधायक एवं राज्य सरकार के मंत्री रहे हैं, जिन्होने राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठाकर अपने प्रधान के कार्यकाल

मे तत्कालीन अधिकारियों से मिलीभगत कर दिनांक 13.02.1983 को आराजी संख्या 1396/1306 मे 0.22हे. भूमि अपने नाबालिग पुत्र विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम के नाम पर आवंटित करा गैर खातेदारी हक से भूमि उसके खाते मे अंकित करा ली। उक्त भूमि के आवंटन से पूर्व अथवा पश्चात् विपक्षी अथवा उसके पिता का कब्जा इस भूमि पर नहीं रहा, न ही प्रार्थीगण को बेदखल किया गया, न आवंटन शर्तो की पालना की गई। लगभग 18 वर्षो तक अपना कब्जा न होने एवं मिलीभगत से फर्जी कराये गये आवंटन के तथ्य की जानकारी होने के कारण ही विपक्षी ने भूमि को अपने खातेदारी अधिकार मे अंकित नहीं कराया एवं दिनांक 24.12.2001 को राजनैतिक परिस्थितियां अनुकूल होने पर अपने प्रभाव का उपयोग कर नियम विरूद्ध अपने खातेदारी अधिकारों मे अंकित करा नामान्तरकरण संख्या 111 अपने पक्ष मे खुलवा दिया। आवंटन हेतु आवंटी का संबंधित गांव का निवासी होना आवश्यक है, परन्तु विपक्षी पलसिया गांव का निवासी न होकर वहां से 30 कि.मी. दूर सरेरा गांव का निवासी हैं। विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम वक्त आवंटन नाबालिग था एवं नाबालिग के पक्ष मे आवंटन नियम 12 मे वर्जित हैं। इसके अतिरिक्त आवंटी भूमिहीन की श्रेणी मे नहीं आता था एवं न ही आज आता हैं। उक्त आवंटन मे नियम 4 का भी उल्लंघन हुआ है, चूंकि इस नियम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग या अन्य मेटेलिक या ग्रेवल रोड़ से 50 गज की दूरी पर स्थित भूमि का आवंटन वर्जित हैं। आवंटन के नियम 5 के तहत न तो रिक्त भूमि की सूची बनायी गई, न उसे एड़वाईजरी कमेटी के समक्ष रखा एवं न ही नियम 7 के तहत कोई उद्घोषणा जारी की गई। विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम द्वारा किया गया कथित आवेदन पूरा भरा हुआ नहीं हैं। विपक्षी ने मात्र खानापूर्ति करा आवंटन कराया हैं। विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना भी नहीं की गई हैं। राजस्व अभियान 2001 मे बिना मौका एवं गिरदावरी का अवलोकन किये 18 वर्ष बाद गलत तरीके से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। आवंटन दिनांक 13.02.1983 एवं उसके अनुसरण मे दिनांक 24.12.2001 को दिये गये खातेदारी अधिकार अवैध व शून्य हो ये आदेश अपास्त योग्य हैं। तहसील खेरवाड़ा की वर्ष 2009 मे हुई ऑड़िट के दौरान भी आवंटन आदि के बारे मे समीक्षा रिपोर्ट होकर पृष्ठ संख्या 1 से 14 मे यह तथ्य स्वीकार किया है कि विपक्षी का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा, आज भी अन्य आदिवासियों का कब्जा है एवं बिना मौके की जांच किये व गिरदावरी देखे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। ऐसे आवंटन कों निरस्त करने हेतु माननीय जिला कलक्टर के समक्ष आवेदन किया जावें। इस ऑड़िट रिपोर्ट की पालना भी विपक्षी द्वारा अपने प्रभाव के कारण नहीं होने दी हैं। उक्त ऑड़िट रिपोर्ट की पालना तहसीलदार खेरवाड़ा को करते हुए जिला कलक्टर को प्रकरण आवंटन निरस्ती हेतु प्रेषित करना चाहिये था, किन्तु उन्होने विपक्षी के दवाब मे ऐसा न कर अपने वैधानिक कर्तव्यों की पालना नहीं की हैं। उक्त रिपोर्ट अनुसार भी आवंटन अवैध हैं, जिसकी पालना कोई भी नागरिक कराने का अधिकारी हैं। अतः विपक्षी के पक्ष मे दिनांक 13.02.1983 को जारी आवंटन पत्र, उसके अनुसरण मे खोला गया नामान्तरकरण, कालान्तर मे दिनांक 24.12.2001 को खातेदारी अधिकार की घोषणा एवं उसका नामान्तरकरण अवैध एवं शून्य घोषित करा विपक्षी का नाम रेकर्ड से हटा कर भूमि पूर्ववत बिलानाम सरकार दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा ने वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित हो पेश किया हैं। मौजा पलसिया की सीमा पर आराजी संख्या 847 व 844 स्थित हो इसके हाल आराजी संख्या 1306 व 1396/1306 हैं। मौजा पलसिया की आराजी संख्या 1306 व 1396/1306, 35 वर्षो पूर्व बिलानाम सरकार थी। उक्त जमीन पर प्रार्थीगण का कोई मकान बना हुआ नहीं हैं एवं प्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं हैं। विपक्षी के पिता पंचायत समिति खेरवाड़ा के प्रधान नहीं रहे थे। आवंटन के समय न तो विधायक थे एवं न ही मंत्री थे। आवंटन के कई वर्षो बाद वे मंत्री बने, जिनका उक्त कथित जमीन से कोई संबंध नहीं हैं। विपक्षी के बालिग होने के बाद ही उसे आवंटन किया गया हैं। विपक्षी को कथित भूमि का आवंटन 13.02.1983 को किया गया हैं एवं उसका नामान्तरकरण शुरू मे गैर खातेदारी हक से स्वीकृत किया गया था एवं बाद मे 10 वर्ष पूरे होने पर आवंटन की शर्तो की पूर्णतया पालना करने से कथित भूमि पर विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र लाई नहीं होता हैं। प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर इतने लंबे समय बाद आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। कथित भूमि का आवंटन नियमानुसार विपक्षी को किया गया हैं। आवंटन के पश्चात् से आवंटी का उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। वक्त आवंटन भूमि रिक्त होने से ही विपक्षी को उक्त भूमि का आवंटन हुआ है। कथित आवंटन के पूर्व पूरे कोरम से राय ली गई है तथा आराजी संख्या 1306 का आवंटन श्रीमती इन्द्रा देवी के हक मे किया गया है, परन्तु इस मामले मे इन्द्रा देवी को जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। आवंटन हेतु आवंटी का संबंधित गांव का निवासी होना आवश्यक नहीं हैं, वह एक ही तहसील का निवासी हो भूमिहीन की श्रेणी मे आता हैं। ए.आई.आर. 1994 सुप्रीम कोर्ट मे तय किया गया है कि आवंटन के 20 वर्ष बाद ऐसा प्रार्थना पत्र लाई नहीं होता हैं। विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम को किये गये उक्त आवंटन मे आवंटन नियम 4 का उल्लंघन नहीं हुआ है। विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम को आवंटित भूमि वक्ता आवंटन राष्ट्रीय राजमार्ग या मेटेलिक या ग्रेवल रोड़ से 50 गज की सीमा मे नहीं थी। वक्त आवंटन नियमानुसार रिक्त भूमि की सूची तैयार की गई थी एवं उसी अनुसार उद्घोषणा पत्र जारी कर आवंटन सलाहकार समिति की राय के आधार पर भूमि का विपक्षी को आवटन किया गया था। विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम को आवंटन 0.22हे. का किया गया है एवं इसमे आवंटन सलाहकार समिति की राय ली गई हैं। आवंटन शर्तो की पालना करने पर ही विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं एवं विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए भी लम्बा समय हो चुका हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

प्रकरण मे तहसीलदार खेरवाड़ा से विवादित आराजी पर किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक रीड़र/2017/1400 दिनांक 19.09.2017 से प्रेषित मौका पर्चा रिपोर्ट द्वारा न्यायालय को अवगत

कराया है कि राजस्व ग्राम पलसिया जमाबंदी संवत् 2071–74 मे खाता संख्या 119 श्री जयकृष्ण पिता दयाराम मीणा, सा. सरेरा, के नाम आराजी संख्या 1396/1306 रकबा 0.2200हे. खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड हैं। मौके पर मौतबिरान द्वारा कब्जे के संबंध मे स्पष्ट रूप से नहीं बताया हैं। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति को रेकर्ड पर वास्ते बहस रखा जाने मे रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त न करने से उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा जारी आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति मय आवंटन आदेश दिनांक 13.02.1983 रेकर्ड पर वास्ते बहस रखी जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस प्रांरभ करते हुए प्रकरण मे अपने आवंटन निरस्ती प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम के पक्ष मे किये गये आवंटन दिनांक 13.02.1983 एवं तदनुसार दिये गये खातेदारी अधिकार को अवैध एवं शून्य बताया एवं राजनीतिक प्रभाव के कारण किये गये उक्त आवंटन को निरस्त करने की मांग की। जिसका प्रमुख आधार उनके द्वारा विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होना, प्रार्थीगण के नाम बिजली का कनेक्शन होना, विपक्षी का वर्णित आराजीयात पर कब्जा न होना, विपक्षी का भूमिहीन न होना, विपक्षी के पिता का तत्समय प्रधान होना व राजनीति मे होना, गलत तरीके से खातेदारी अधिकार प्राप्त करना, वक्त आवंटन विपक्षी का नाबालिग होना, नियम–4, 5, 7 व 10 का उल्लंघन होना, ऑड़िट आक्षेप होना आदि बताया है। विपक्षी अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए अपवने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विपक्षी को नियमानुसार पात्रता रखने पर ही विधिवत आवंटन हुआ है एवं आवंटन नियमों की पालना करने से ही उसे नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित समस्त तथ्य गलत हैं। विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम को दिनांक 13.12.1983 को वर्णित आराजीयात का आवंटन हुआ है। वक्त आवंटन दिनांक 13.02.1983 को लाभ के पद पर होने का कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया हैं। तत्समय विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम भूमिहीन होने से कृषि भूमि आवंटन की पात्रता रखता था एवं तत्समय सीमा से अधिक कृषि भूमि विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम के पास उपलब्ध होने के संबंध मे कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से इसे खारिज किया जावें। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

आर.बी.जे. 1995 (2) पृष्ठ संख्या 780–781
आर.बी.जे. 2009 (16) पृष्ठ संख्या 201
आर.बी.जे. 2006 (13) पृष्ठ संख्या 11
आर.बी.जे. 2006 (13) पृष्ठ संख्या 217
ए.आई.आर. 1994 एस.सी. पृष्ठ संख्या 1128
आर.बी.जे. 2008 पृष्ठ संख्या 435

आर.आर.टी. 2011(1) पृष्ठ संख्या 383
आर.आर.टी. 2011(1) पृष्ठ संख्या 270
आर.बी.जे. 2005 (12) पृष्ठ संख्या 113
आर.बी.जे. 2010 (17) पृष्ठ संख्या 157
आर.बी.जे. 2009 (16) पृष्ठ संख्या 258
आर.बी.जे. 2009 (16) पृष्ठ संख्या 112
आर.बी.जे. 2011 (18) पृष्ठ संख्या 418
आर.आर.टी. 2011 (2) पृष्ठ संख्या 1205
आर.आर.टी. 2012 (1) पृष्ठ संख्या 653

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षी के जवाब, आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति, मौका रिपोर्ट, ऑड़िट रिपोर्ट, न्यायिक दृष्टान्तों एवं उसमे वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण मे विवाद मौजा पलसिया, तहसील खेरवाड़ा की विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम को दिनांक 13.02.1983 को आवंटित साबिक आराजी संख्या 847, जिसके हाल आराजी संख्या 1396/1306 रकबा 0.22हे. का है, जिस पर उभय पक्ष द्वारा अपना अपना कब्जा बताया जा रहा हैं। आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम, निवासी सरेरा को उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 13.02.1983 को किया गया हैं। प्रकरण मे विचारणीय बिंदु यह है कि–

(अ) आवंटन पत्रावली के अवलोकन पर यह तथ्य ध्यान मे आता है कि विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम द्वारा प्रस्तुत किये गये आवंटन हेतु आवेदन मे उसके द्वारा स्वयं को अन्य गांव सरेरा का निवासी होना दर्शाया है। इसके अतिरिक्त आवंटन पत्रावली मे उपलब्ध आवेदन, जिस पर दिनांक अंकित नहीं है मे आवेदन उपरान्त पटवारी की जांच रिपोर्ट मे पटवारी हल्का के बिना मोहर के हस्ताक्षर मौजुद हो रिपोर्ट के सत्यापन रेकॉर्ड एवं मौके से मिलान के कॉलम मे भू.अ.निरीक्षक एवं तहसीलदार खेरवाड़ा के हस्ताक्षर का कॉलम रिक्त हैं। आवंटन कमेटी के कोरम पर सदस्यों के हस्ताक्षर एवं पदनाम आदि भी स्पष्ट नहीं हैं एवं इससे यह भी स्पष्ट नहीं होता की कोरम मे कौन सदस्य थे एवं किसके द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। कोरम के किसी भी सदस्य की मोहर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। आवंटन पत्रावली के प्रपत्र 5 पर फाईल नम्बर का अभाव हैं एवं उपखण्ड़ अधिकारी के हस्ताक्षर मौजुद नहीं है, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। पत्रावली पर कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति मे विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम को आवंटन के संबंध मे की गई समस्त कार्यवाही प्रथम दृष्ट्या ही मिसप्रजेन्टेशन एवं गलत तरीके से की जाना स्पष्ट होता हैं।

(ब) निरीक्षक राजस्व लेखा, आंतरिक लेखा जांच दल (आय) की निरीक्षण रिपोर्ट क्रमांक नि.रा.ले/प्रति/2009/134 दिनांक 24.11.2009 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निरीक्षक राजस्व लेखा आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा भी अपनी रिपोर्ट मे उल्लेख किया है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 4 के बिंदु 4 मे प्रावधान है कि किसी गांव

की आबादी के साथ लगी भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकता हैं। नियम 4 के बिंदु 5(6) के अंतर्गत किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा पक्की या कंकरीट सड़क के मध्य से 50 गज की परिधी के भीतर स्थित भूमियां आवंटन से निषेधित हैं। मौजा पलसिया की आराजी संख्या 1396/1306 की भूमि दो गांवों बड़ला एवं खेरवाड़ा छावनी की आबादी से लगी हुई हैं, जो आवंटन से पूर्व राजकीय भूमि थी। मौका जांच करवाने पर आराजी नम्बर 1396/1306 स्टेट हाईवे सड़क खेरवाड़ा–रानी से मौके पर सटकर स्थित होना विदित हुआ हैं। ग्राम पलसिया की जमाबंदी संवत् 2059–62 के खाता संख्या 204 पर आराजी संख्या 1396/1306 रकबा 0.22हे. भूमि विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम के खातेदारी मे दर्ज अभिलेख है एवं इसकी खातेदारी ना.स. 111 द्वारा दर्ज अभिलेख हुई हैं। यह नामान्तरकरण राजस्व अभियान (प्रशासन गांवों की ओर) के दौरान दर्ज किया गया है। मामले मे खातेदारी अधिकार आवंटन के 19 वर्ष पश्चात् दिये गये है। मामले मे आवंटन एवं खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही नियमानुसार प्रतीत नहीं हुई हैं। मौके पर अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त हो विपक्षी का कब्जा काश्त नहीं रहना बताया गया हैं तथा सड़क से थोड़ी दूरी पर अन्य व्यक्ति का पुराना आवासीय मकान निर्मित हैं। आवंटी व्यक्ति वर्तमान खेरवाड़ा विधायक श्री दयाराम का पुत्र है एवं वर्ष 1983 मे वक्त आवंटन आवंटी के पिता श्री दयाराम जी पंचायत समिति खेरवाड़ा मे प्रधान थे। उक्त आवंटित भूमि सड़क मध्य से 50 गज अर्थात 150फीट के दायरे मे है। प्रकरण मे आवेदक की पात्रता की जांच भी नही करायी गई है तथा नियम 11 मे आवंटन के लिये पात्रता एवं प्राथमिकता की स्थिति को ओवरलुक कर आवंटन किया गया हैं। आवंटन नियम 13 के अंतर्गत पंचायत समिति का प्रधान सलाहकार समिति का सदस्य होता हैं। ऐसी स्थिति मे आवंटन नियमों की पूर्णतया अनदेखी कर प्रधान के प्रभाव मे उक्त आवंटन विपक्षी को किया गया हैं। आवंटी अन्य गांव का निवासी हो अन्य गांव मे आवंटी एवं इनके पिता के नाम दर्ज कृषि भूमियों का विवरण आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र मे नहीं किया गया हैं। नियमानुसार आवंटन के 10 वर्ष बाद 1993 मे आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये जाने चाहिये थे, किन्तु आवंटन नियमो की पालना न होने एवं भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त होने से यथा समय आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं। इस प्रकार विधि विरूद्ध आवंटन होने एवं खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने से मामला जिला कलक्टर उदयपुर के ध्यान मे लाया जाना अपेक्षित हैं। विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम को गलत खातेदारी अधिकार दे दिये जाने से राज्य सरकार को सीधे राशि 31460/– का नुकसान हुआ हैं। आवंटन शर्तो का उल्लंघन एवं प्रतिकूल तरीके से किये गये विपक्षी को किये गये आवंटन को निरस्त करने की शक्तियां जिला कलक्टर मे निहित है, साथ ही यदि खातेदारी अधिकार नियम विरूद्ध दिये गये है तो जिला कलक्टर खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु अधिकृत हैं। अतः मामले मे खातेदारी अधिकार निरस्त कर भूमि पुनः कब्जा राज लेकर राज्य पक्ष मे अभिलेख मे दर्ज कराया जाना अपेक्षित हैं तथा आराजी संख्या 1395/1306 को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किया हुआ हैं। इस प्रकार निरीक्षक राजस्व लेखा की रिपोर्ट अनुसार भी उक्त आवंटन गलत तथ्यों पर आधारित हो फ्रॉड़ एवं मिसप्रजेन्टेशन से विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता

दयाराम को किया जाना एवं अनियमित तरीके से खातेदारी अधिकार प्राप्त करना स्पष्ट हेाता हैं।

(स) प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वक्त आवंटन विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम के नाबालिग होने का उल्लेख किया हैं। विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम एवं उनके विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य के खण्ड़न हेतु एवं आवंटी की आयु तत्समय बालिग होने की पुष्टि स्वरूप कोई भी मान्यता प्राप्त दस्तावेज या साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने मे असमर्थ रहे हैं। ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्ट्या विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम वक्त आवंटन नाबालिग होने का तथ्य सही होना प्रतीत हेाता हैं।

(द) प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वक्त आवंटन विपक्षी श्री जयकृष्ण के पिता श्री दयाराम का पंचायत समिति खेरवाड़ा का प्रधान होने का उल्लेख किया है एवं अवगत कराया है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 13 मे यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ''जहां सलाहकार समिति के किसी सदस्य का किसी आवेदक मे उसके संबंधी होने के कारण या अन्यथा कोई हित हो, वहां ऐसा सदस्य समिति की बैठक मे भाग नहीं लेगा।'' इसके विपरित विपक्षी श्री जयकृष्ण एवं इनके अधिवक्ता इस तथ्य के खण्ड़न हेतु कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। ऐसी स्थिति प्रार्थीगण द्वारा दिये गये तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता हैं।

(य) तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट क्रमांक रीड़र/2017/1400 दिनांक 19.09.2017 मे जिसमे मौका रिपोर्ट मे उपस्थिति पर स्वयं विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम के हस्ताक्षर मौजुद है, मे भी वर्णित आराजीयात पर कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई हैं। इसके अतिरिक्त मौका रिपोर्ट के साथ सलंग्न गिरदावरी रिपोर्ट मे भी कब्जा काश्त नहीं पाया गया हैं, जो विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम के कब्जा न होने व काश्त न किये जाने का प्रमाण हैं।

(र) प्रकरण मे विपक्षी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम को किया गया आवंटन पुराना होना व खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाना अवगत कराया है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही को अनुचित एवं विधि विरूद्ध बताया है तथा इस बाबत् उपरोक्त वर्णितानुसार न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है, किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि मिथ्या, मिसप्रजेन्टेशन एवं फ्रॉड़ तरीके से किये गये आवंटन एवं तदनुसार खातेदारी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही को कभी भी रद्द किया जा सकता हैं।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर मौजा पलसिया, तहसील खेरवाड़ा की साबिक आराजी संख्या 847 पर विपक्षी के पक्ष मे उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा किया गया आवंटन दिनांक 13.02.1983 मिथ्या, मिसप्रजेन्टेशन एवं अनियमित तरीके से किया जाना एवं गलत तरीके से दिनांक 24.12.2001 को खातेदारी अधिकार दिये जाना पाया जाने से उक्त आवंटन को रद्द कर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 स्वीकार किया जाकर मौजा पलसिया, तहसील खेरवाड़ा की साबिक आराजी संख्या 847, जिसके हाल आराजी संख्या 1396/1306 रकबा 0.22हे. है, पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विपक्षी श्री जयकृष्ण पिता दयाराम के पक्ष मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 13.02.1983 को खारिज किया जाकर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(चाँदमल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर